16380633[?]

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2016-17/ 3035 **Dated:-** 13/2/17

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO /309

Pr. Accountant General (A&E), Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad — INWARD 22 FEB 2017

To,

The

1.	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500463
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E),Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh,12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road,Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. : Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Acèounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry	605001

पो. डोरण्डा, राँची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834002 (JHARKHAND)
दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स /Fax : 0651-2411745
E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject:-Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-07-2016 (Enhanced from 125% to 132%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department **L. No.**वि. प्र. **6 ए-12/2013/182** /वि. **dated -17/01/2017** on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully

Encl:-As stated above.

Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi

Sh...

सं.सं. : वि०प्र० 6ए–12/2013.....182/वि.

झारखण्ड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक 17.01.17

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2016 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी 125% (एक सौ पच्चीस प्रतिशत) महँगाई राहत प्राप्त कर रहे हैं।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ के अनुरूप पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है और उसके आलोक में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 42/15/2016- P& PW(G) दिनांक 16.11.2016 के द्वारा दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से सप्तम पुनरीक्षित पेंशन में मूल पेंशन का 2% महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है, सम्प्रति झारखण्ड राज्य में पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

4. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं. 1/3/2008-E(II)(B) दिनांक 09.11.2016 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 125% (एक सौ पच्चीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 132% (एक सौ बत्तीस प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3504/वि॰ दिनांक 08.12.2016 द्वारा अपने कर्मियों के लिए दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 132% (एक सौ बत्तीस प्रतिशत) स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य सरकार अपने कर्मियों के साथ– साथ पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप समान दर एवं समान तिथि से करती रही है।

5. अतः उपर्युक्त पृष्टभूमि में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत राज्य के पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से महँगाई राहत 125% (एक सौ पच्चीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 132% (एक सौ बत्तीस प्रतिशत) किये जाने का निर्णय लिया है।

6. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना पुनरीक्षित पेंशन अथवा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन राशि पर किया जायेगा।

7. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उस गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा।

8. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभा परिपत्र संख्या 3556/वि॰, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनि होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगा, जि क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/ असाधारण पेंशन पा वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

9. पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम–199 के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दिया जाय।

10. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलम्ब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, योजना–सह–वित्त विभाग को भी दी जाय।

11. दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3730/वि० दिनांक 30.12.2016 के क्रम में दिनांक 10.01.2017 की बैठक के मद सं० 02 में दी गई है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/ उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17.1.2017

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 182/वि० **राँची, दिनांक** 17.01.17

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

17.1.2017

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।